न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 281/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. रामप्रताप पुत्र मागराज जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
2. जगदीश चंद राव पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
3. सुभाष चंद्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा।
4. रामकला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त० भादरा हाल ढिलकी त० नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. एस.बी.आई. शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भिरानी के खाता सं० 465/439 के मु० न० 266 के किला न० 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253है०, मु० न० 267 के किला न० 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 18/1 की 0.215है०, किला न० 19 ता 21 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 22/1 की 0.164है०, किला न० 23/1 की 0.051है०, किला न० 24/1 की 0.152है०, मु० न० 300 के किला न० 1/1 की 0.114है०, किला न० 2/1 की 0.089है०, किला न० 3/1 की 0.215है०, किला न० 4, 6, 7, 8 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 9/1 की 0.240है०, किला न० 10/1 की 0.127है०, किला न० 11 ता 15 प्रत्येक की 0.253है०, मु० न० 301 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253है०, किला न० 5/1 की 0.240है०, किला न० 6/1 की 0.089है०, किला न० 7/1 की 0.202है०, किला न० 8 की 0.253है०, किला न० 13/1 की 0.164है०, किला न० 14/1 की 0.051है०, किला न० 15/1 की 0.190है० कुल 11.158है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामप्रताप के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं० 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स० 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी सं० 2 जग[illegible] को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड [illegible]ावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/1/2021 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 281/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. रामप्रताप पुत्र मामराज जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. जगदीश चंद राव पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. सुभाष चंद पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. रामकला पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा हाल ढिलकी त0 नोहर जिला हनुमानगढ।
5. एस.बी.आई. शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा : वादी
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 15/2/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 465/439 के मु0 न0 266 के किला न0 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 267 के किला न0 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 18/1 की 0.215है0, किला न0 19 ता 21 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.164है0, किला न0 23/1 की 0.051है0, किला न0 24/1 की 0.152है0, मु0 न0 300 के किला न0 1/1 की 0.114है0, किला न0 2/1 की 0.089है0, किला न0 3/1 की 0.215है0, किला न0 4, 6, 7, 8 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 9/1 की 0.240है0, किला न0 10/1 की 0.127है0, किला न0 11 ता 15 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 301 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.240है0, किला न0 6/1 की 0.089है0, किला न0 7/1 की 0.202है0, किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.164है0, किला न0 14/1 की 0.051है0, किला न0 15/1 की 0.190है0 कुल 11.158है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मामराज की खातेदारी हुआ करती थी। मामराज से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे के.सी.सी. ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्ल्यु कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भिरानी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भिरानी खाता सं0 465/439 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही भिरानी खाता सं0 357/340 प्रदर्श 2, सत्यप्रति जमाबंदी रोही भिरानी संवत 2046–49 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में रामप्रताप के तीन पुत्र कृष्ण कुमार, जगदीश चंद्र राव व सुभाष चंद्र व एक पुत्री रामकला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 357/340 की 4.504है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम यथावत रखते हुए रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 465/439 के मु0 न0 266 के किला न0 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 267 के किला न0 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 18/1 की 0.215है0, किला न0 19 ता 21 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.164है0, किला न0 23/1 की 0.051है0, किला न0 24/1 की 0.152है0, मु0 न0 300 के किला न0 1/1 की 0.114है0, किला न0 2/1 की 0.089है0, किला न0 3/1 की 0.215है0, किला न0 4, 6, 7, 8 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 9/1 की 0.240है0, किला न0 10/1 की 0.127है0, किला न0 11 ता 15 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 301 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.240है0, किला न0 6/1 की 0.089है0, किला न0 7/1 की 0.202है0, किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13/1 की 0.164है0, किला न0 14/1 की 0.051है0, किला न0 15/1 की 0.190है0 कुल 11.158है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:33 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भिरानी के खाता सं0 465/439 के मु0 न0 266 के किला न0 11 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0, मु0 न0 267 के किला न0 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 18/1 की 0.215है0, किला न0 19 ता 21 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 22/1 की 0.164है0, किला न0 23/1. की 0.051है0, किला न0 24/1 की 0.152है0, मु0 न0 300 के किला न0 1/1 की 0.114है0, किला न0 2/1 की 0.089है0, किला न0 3/1 की 0.215है0, किला न0 4, 6, 7, 8 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 9/1 की 0.240है0, किला न0 10/1 की 0.127है0, किला न0 11

Scanned with CamScanner

ता 15 प्रत्येक की 0.253है0, किला न0 5/1 की 0.240है0, किला न0 6/1 की 0.089है0, किला न0 7/1 की 0.202है0, किला न0 8 की 0.253है0, किला न013/1 की 0.164है0, किला न0 14/1 की 0.051है0, किला न0 15/1 की 0.190है0 कुल 11.158है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार, प्रतिवादी सं0 2 जगदीश चंद्र राव व प्रतिवादी सं0 3 सुभाष चंद्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner